233

आयुक्त/अध्यक्ष

दिनांक 29.7.87 को हुई प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर लिया गया है जो आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 30.7.87

सचिव

(प्रताप सिंह)
उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-7-87 में माननीय सदस्यों की उपस्थिति :-

क्रम सं0	सर्वश्री सदस्य का नाम	पद	हस्ताक्षर
1-	एस0 एस0 पांगती	अध्यक्ष/ आयुक्त गढ़वाल मंडल	[signature]
2-	प्रताप सिंह	उपाध्यक्ष	[signature]
3-	अशोक खुराना	जिला अधिकारी देहरादून	[signature]
4-	बी. के. पाण्डे	अधीक्षण अभियन्ता जल निगम देहरादून	[signature]
5-	आई0 पी0 सिंह	संयुक्त निदेशक, पर्यावरण	[signature]
6-	हरे कृष्ण शर्मा	वरिष्ठ नियोजक	
7-	जनार्दन प्रसाद	[illegible] नियोजन विभाग संयुक्त सचिव, [illegible]	[signature]
8-	के. एल. साह	सहायक निदेशक पर्यटन मसूरी	[signature]
9-	[illegible]	MLA	[signature]
10-	[illegible] Sharma	SDM Mussoorie	[signature]
11-	ए. जी. दुबे	अधिशासी अधिकारी सिविल बोर्ड, देहरादून	[signature]
12-	के0 बी0 रतन	संयुक्त निदेशक [illegible] देहरादून	[signature]
13-			
14-	एस0 सी0 धौंडियाल	नगर नियोजक एम0 डी0 डी0 ए0 देहरादून	[signature]
15-			
15.	एन. बी. सिंह,	जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र देहरादून	[signature]
16.	[illegible]	प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता [illegible]	
17.	[illegible]		[signature]
18.	पी0 एस0 [illegible]	प्र. व. वन विभाग	[signature]
19.	यू. डी. चौबे	सचिव	
20.	श्री आर. पी. सिंह	संयुक्त सचिव	

29-7-87 को प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :- (सूची संलग्न) लेखक - पृष्ठ के अनुसार

गत बैठक की अनुपालन आख्या :-

दिनांक 19.5.87 को हुई बैठक में लिए गये निर्णयों की

अनुपालन आख्या :-

गत बैठक दिनांक 19.5.87 के कार्यवृत्त की पुष्टि गई और अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर किए ।

गत बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्राधिकरण के समक्ष पढ़ी गई और प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गये :-

1- गांव सभाओं की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने व उसके सुनियोजित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गांव सभाओं की भूमि का सर्वेक्षण अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र पूरा किया जाय और अगली बैठक में वस्तु-स्थिति से अवगत कराया जाय । (कार्यवाही अप० जिलाधिकारी)

2- मसूरी में लाईब्रेरी के निकट पार्किंग के सम्बन्ध में शासन से अनुदान प्राप्त करने का प्रस्ताव भेजा जाय क्योंकि इस योजना की लागत तथा इसयोजना से होने वाली आय को देखते हुए प्राधिकरण की आय से इस योजना का पूरा व्यय बहन करना उचित नहीं होगा।

कैम्पटी फाल की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए शैवाय होटल के नीचे भूमि अध्याप्त कर पार्किंग स्थल विकसित किया जाय । (कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता विकास प्राधिकरण)

3/ भारतीय सैन्य अकादमी द्वारा कांवली रोड़ को बन्द कर दिए जाने के कारण वैकल्पिक मार्ग के बारे में सहयुक्त नगर नियोजक द्वारा एक मानचित्र दिखाया गया जिसमें वैकल्पिक मार्ग दिखाया गया है। इस मानचित्र को अपनी टिप्पणी के साथ सहयुक्त नगर नियोजक सचिव विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर देंगे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके । (कार्यवाही सहयुक्त नगर नियोजक)

4 नौन कन्फरमिंग लैण्ड यूज उप-विधि, जो मई, 1985 में प्राधिकरण द्वारा पारित की जा चुकी है के ~~अनुदान~~ अनुमोदन के लिए शासन को स्वीकृतिहेतु पत्र भेजा जाय । (कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारी)

5 मसूरी में किंक्रेग के निकट बस अड्डा बनाना उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि इसके निकट ही डिग्री कालेज है। यह उचित समझा गया कि किंक्रेग

के ऊपर लाइब्रेरी तक बसें यात्रियों को छोडकर फिर वापस किऊल आ जायें और एक समय में दो से अधिक बसें यहां खडी न रहें। इसी प्रकार लाइब्रेरी में टैक्सियों की भीड़ कम करने के उद्देश्य से लाईब्रेरी में टैक्सीयों की संख्या निर्धारित कर दी जाय ताकि एक समय में उससे अधिक टैक्सी वहां खड़ी न रहें। और तदनुसार जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाये जो जिला ट्रैफिक परामर्शदात्री समिति में इस मामले को रखेंगे ।

(कार्यवाही, जिलाधिकारी/ प्रभारी अधीक्षक पुलिस)

6- लण्डौर में बड़े बस अड्डे के लिए कहीं और स्थान उपलब्ध नहीं बताया गया और सहयुक्त नगर नियोजक द्वारा जो स्थान प्रस्तावित किया गया है वह 7 किलोमीटर दूर होने के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया ।

वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भवन के जो माडल प्रस्तुत किए गये हैं उनका सचिव परीक्षण कर अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही सचिव)

देहरादून की महायोजना को रेवेन्यू मानचित्र में दिखाए जाने की प्रगति बहुत धीमी पायी गयी और यह निर्देश दिए गये कि फिलहाल रेवन्यू मानचित्र में महायोजना की सीमा दिखा दी जाय। कुआंवाला में स्थित उद्योगों व अन्य स्थानों पर पहले से चले आरहे उद्योगों के सम्बन्ध में विसंगतियों को दूर करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पूर्व गठित परीक्षण समिति विचार कर अपनी आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगी ।

(कार्यवाही सहयुक्त नगर नियोजक व सचिव)

गांव ~~[illegible]~~ कांवली में शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों हेतु भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 20.6.87 पढ़ी गई और यह निर्णय हुआ कि यदि मानचित्र में निर्दिष्ट शासकीय एवम् अर्धशासकीय कार्यालयों हेतु भू-उपयोग वाली भूमि में मुख्य मोटर मार्ग तक पहुँचने के लिए कोई उपयुक्त मार्ग नहीं है तो इसका भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए सहयुक्त नगर नियोजक, प्राधिकरण के नगर नियोजक व श्री हीरा सिंह विष्ट, नगर विधायक, श्री द्वारिका नाथ धवन, भूतपूर्व नगर विधायक, सचिव विकास प्राधिकरण दिनांक 30.7.87 तक स्थल निरीक्षण कर संस्तुति ~~अगली बैठक~~ उपाध्यक्ष प्राधिकरण के समक्ष अगली बैठक में रखेंगे।

(कार्यवाही सचिव)

समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने के लिए दरें निर्धारित करना उपाध्यक्ष के विवेक पर नियत कर दिया गया है।

नजूल भूखण्ड संख्या 212 डिस्पेन्सरी रोड़ पर व्यवसायिक केन्द्र की स्थापना के लिए हुए निर्णय पर पशुधन विभाग को यहां से चिकित्सालय हटाने पर विचार के उपरान्त प्राधिकरण के पूर्व निर्णय को ही कायम रखा गया। सम्बन्धित विभाग को यहां से चिकित्सालय हटाने के लिए पुनः लिखा जाय और उन्हें नगर में कहीं और भूमि बता दी जाय। (कार्यवाही सचिव)

नगरपालिका के लिए ट्रेन्चिंग मैदान के लिए भूमि की व्यवस्था करने से सम्बन्धित समिति में मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि औरश्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग देहरादून के क्षेत्रीय अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाय। समिति आगामी बैठक तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (कार्यवाही सचिव)

विषय कृमांक :-2:-

1.5.87 से 15.7.87 तक भवन मानचित्रों कें निस्तारण की प्रगति का विवरण

1.5.87 से 15.7.87 तक भवन मानचित्रों के निस्तारण व अनधिकृत निर्माणों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण व विकास प्राधिकरण में निर्माणीधीन व प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की गयी। यह पाया गया कि जो पत्रावलियां दो माह से अधिक पुरानी है वे वहीं है जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन का मामला विचाराधीन है। क्योंकि इस मामले में अन्तिम निर्णय होने में बहुंत समय लगने की सम्भावना है अतः यह निर्णय हुआ कि ऐसी पत्रावलियों को बिना कोई अन्तिम आदेश पारित हुए तब तक के लिए दाखिल दफ्तर कर दिया जाय जब तक कि भू-उपयोग के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निणाय नहीं हो जाता है। (कार्यवाही सचिव)

प्राधिकरण द्वारा निस्तारित भवन मानचित्रों व ~~प्रस्तावित~~ निर्माण ~~तथा~~ कार्यों की प्रगति आख्या पर संतोष प्रकट किया गया।

विषय कृमांक :- 3 :-

सम्पत्ति संख्या 69 तथा 71 राजपुर रोड़ की परियोजना की तैयारी :-

सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि इस स्थान पर मुख्यतः आवासीय योजना ही बनाई जाय परन्तु इसके साथ ही कम्यूनिटी हाल व ---5---

रिटेल की दुकानों का भी निर्माण कर लिया जाय। कम्युनिटी हाल में बैठने की व्यवस्था के अलावा स्कैटिंग, टेबिल टैनिस आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नगर नियोजक तद्नुसार इस स्थल का ले आऊट व प्लान तैयार कर अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करेंगे ।

(कार्यवाही नगर नियोजक)

विषय क्रमांक :- 4:-

ग्राम चक अजबपुरकलां की गाटा सं0 69/1 का भू-उपयोग परिवर्तन :-

सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि इस स्थान पर भू-उपयोग परिवर्तन न किया जाय और इसका भू-उपयोग हरी पट्टी के रूप में रहने दिया जाय ।

विषय क्रमांक :-5:-

नगर के मध्य कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर विचार :-

~~सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि~~ चूंकि वर्तमान कारागार के आस-पास आवासों का निर्माण हो चुका है और अब इसके सामने एक बड़ा होटल भी है और इस मार्ग पर यातायात का भी दबाव बहुत अधिक है अत: कारागार को यहां रहना उचित नहीं है, अत:

~~अब~~ सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि कारागार किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाय और यह स्थान मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण को सौंप दिया जाय। यह भी निर्णय हुआ कि इस कारागार में स्वर्गीय पं0 जवाहर लाल नेहरू का जो स्मारक है उसे विकास प्राधिकरण द्वारा उसके आस-पास एक पार्क विकसित कर सुरक्षित रखा जाय। तद्नुसार शासन को व सम्बन्धित विभाग को कारागार को वर्तमान स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए लिखा जाय ।

(कार्यवाही सचिव)

~~विषय क्रमांक~~ :-

विषय क्रमांक :- 6:-

अजबपुर कलां आवास योजना के दुर्बल आय वर्ग के भूखण्ड/भवन/उपलब्ध करने हेतु योजना की स्वीकृति :-

प्रस्तुत योजना पर विचार-विमर्श के बाद सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया और इस योजना के क्रियान्वयन करने के लिए और इसके लिए विभिन्न श्रोत्रों से ऋण प्राप्त करने के लिए उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

विषय क्रमांक :- 7:-

59/4, राजपुर रोड़ पर होटल की स्वीकृति :-

चूँकि जिस स्थल पर होटल प्रस्तावित है उसके बगल में नर्सिंग होम है और सड़क के दूसरी ओर लड़कियों का राजकीय इन्टर कालेज है तथा आस-पास आवासीय भवन बने हैं, अत: यहां पर होटल का बनाया जाना उचित नहीं समझा गया। अत: यह आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया ।'

विषय क्रमांक :- 8 :-

ग्राम अजबपुर कलां की भूमि अध्याप्ति किये जाने का प्रस्ताव

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि गांव सभा की भूमि जिसे खेल-कूद के मैदान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है और उससे मिली हुई अतिरिक्त भूमि जिसे आवासीय योजना हेतु अध्याप्त करने का प्रस्ताव है का विस्तृत सर्वेक्षण कर लिया जाय और उसकी पूरी योजना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

विषय क्रमांक :-9:-

<u>ग्राम माजरी माफी की 7 बीघा भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन</u> :-

शासनादेश संख्या 1638/37-3-87-25 एल0यू0सी0/86, आवास अनुभाग-3, दिनांक 19.6.87 प्राधिकरण के सम्मुख रखा गया। जिस स्थान पर मोटल/होटल का निर्माण प्रस्तावित है उसकी स्थिति को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नगर महायोजना में इस स्थल क भू-उपयोग हरी पट्टी के रूप में प्रदिष्ट है, सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि यहां पर भू-उपयोग परितर्वन की अनुमति न दी जाय और तद्नुसार शासन को अवगत करा दिया जाय । (कार्यवाही करिये)

विषय क्रमांक :- 10 :-

दूनवैली महायोजना सम्बन्धित विचार गोष्ठी 28.3.87 पर प्राधिकरण के द्वारा किए गये व्यय तथा भविष्य में किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय का अनुमोदन :-

---

दून वैली महायोजना से सम्बन्धित विचार गोष्ठी के प्रबन्ध पर प्राधिकरण द्वारा किए गये व्यय 37,133/= तथा दूनघाटी महायोजना के सम्बन्ध में इस प्राधिकरण द्वारा भविष्य में किए जाने वाले व्ययों के लिए कुल मिलाकर 50 हजार रू0 के व्यय की स्वीकृति सर्व-सम्मति से प्रदान की गयी और पूर्व में किए गये व्ययों जिनका विवरण प्राधिकरण के समक्ष रखा गया को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय हुआ कि दूनवैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा जो एकलाख रूपये का अनुदान दिया गया है उसमें से अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करते हुए 40,000/= की धनराशि इस प्राधिकरण द्वारा दून घाटी महायोजना से सम्बन्धित विचार गोष्ठी पर किये गये व्यय की प्रति-पूर्ति के लिए प्राधिकरण को दिलायी जाय। यह भी निर्णय हुआ कि दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx सम्बन्धित कार्य अब इसी नव गठित प्राधिकरण से कराया जाय और

39

शासन से अनुरोध किया जाय कि इसके लिये सचिव व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति पृथक से कर दी जाय ।

(कार्यवाही सचिव)

विषयक क्रमांक:- 11
================

खसरा नं0-15, ग्राम मोहब्बेवाला को औद्योगिक क्षेत्र से पृथक किया जाना ।

चूँकि शासन द्वारा संशोधित जोनल प्लान हाल में ही प्राप्त हुआ है प्रार्थी का गाटा सं0 15 प्रयोग पार्क नहीं दिखाया गया है अत: इस विषय की सार्थकता नहीं पाई गयी । यह निर्णय हुआ कि उपाध्यक्ष अपने स्तर पर आवेदक द्वारा मानचित्र प्रस्तुत किए जाने पर समुचित निर्णय ले लें ।

विषय क्रमांक :- 12 :-
==================

मैटिरियल स्टैकिंग चार्ज लिये जाने के सम्बन्ध में ।

यह बताया गया कि अन्य विकास प्राधिकरणों में इस प्रकार का चार्ज लिया जाता है और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका द्वारा यहाँ भी इस प्रकार का चार्ज की आवश्यकता बताई गई । यह देखते हुए कि चूँकि यह एक नया चार्ज है और इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है अत: नगरपालिका पहले अपने यहाँ इस विषय का परीक्षण कर लें और इसके साथ ही अन्य विकास प्राधिकरणों से यह ज्ञात कर लिया जाय कि उनके यहाँ इस प्रकार के चार्ज को बसूल करने की क्या प्रक्रिया है ।

(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी नगरपालिका / सचिव)

विषयक क्रमांक :- 13:-
=================

निरंजनपुर कॉलोनी आवास योजना कार्यान्वित करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाना :-
----

इस योजना को क्रियान्वित पंजीकरण का दौर खोलने और विभिन्न श्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिये उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण

को अधिकृत किया गया ।

इस योजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति के लिए तीन करोड़ रूपये के प्रति-कर की भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी ताकि शासन से सीड़ कैपिटल या ऋण प्राप्त किया जा सके ।

(कार्यवाही प्रारम्भ नहीं)

विषय क्रमांक :- 14:-
==================

तिब्बती मार्केट पर दुकानों के निर्माण की अनुमति के प्रश्न पर विचार ।

अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माणविभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि रैंजर्स कालेज के ग्राउन्ड में स्टेडियम बनाने के लिये प्रर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है और यहाँ 400 मीटर दौड का भी ट्रैक नहीं हो सकता है । ग्राम अजबपुर कलाँ में भी स्टैडियम का निर्माण उचित नहीं समझा गया । स्टैडियम के सम्बन्ध में अनिश्चितता की स्थिति को और अधिक बने रहना भी उपयुक्त नहीं पाया गया ।

विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि परेड ग्राउन्ड में ही स्टेडियम बनाया जाय क्योंकि यहाँ उपयुक्त स्थान उपलब्ध है और इस ग्राउन्ड में चाहर दिवारी भी बनाई जा चुकी है। निर्णय हुआ कि तद्नुसार शासन को सूचित कर दिया जाय और इस स्थान पर स्टेडियम के निर्माण की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

यह भी निर्णय हुआ है कि इस स्थल पर स्टेडियम का निर्माण शासन से स्वीकृत होने के उपरान्त वर्तमान पैवेलियन के पीछे तिब्बती बाजार के निर्बल वर्ग के दुकानदारों के लिये पूर्व प्रस्तावित 120 दुकानों का निर्माण शुरू कर दियाजाय ।

(कार्यवाही नहीं)

विषय क्रमांक :- 15:-
=================

नगर नियोजन विभाग हेतु कान्ट्रेक्ट पर स्टाफ रखनें विषयक :-

विचार विमर्श के उपरान्त यह सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि शासन से अनुमति प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कॉन्ट्रेक्ट पर स्टाफ रखा जाय ।

विषय क्रमांक :- 16 ॥अनुपूरक विषय -1 ॥

प्रादेशिक को-आपरेटिव फेडरेशन द्वारा अधिग्रहित खसरा नं0 142 एवं 150, स्थित ग्राम निरंजनपुर का भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में :-

---

सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित शर्तों पर शासन को संस्तुति भेज दी जाय, (1) को-आपरेटिव फेडरेशन द्वारा एक लाख रूपये ॥1,00000/=॥ भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करा लिया जाय ।

2- स्वीकृति प्राप्त किए बगैर निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाने के कारण सचिव द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया जाय ।

3- अग्रेतर निर्माण कार्य तभी शुरू किया जाय जबकि शासन से स्वीकृति प्राप्त हो जाय । उपरोक्त शर्तों की पूर्ति होने पर शासन से भू-उपयोग परिवर्तन के लिए संस्तुति भेजी जाय । (कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक :-17:- ॥अनुपूरक विषय, क्रमांक:-2॥

अजबपुरकलां में गाटा सं0 1235 का दूनघाटी कर्मचारी सहकारी आवास समिति, देहरादून के पक्ष को आवंटन ।

अपर जिलाधिकारी की वह रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष पढ़ी गई जिसमें उन्होंने इस समिति को भूमि देने की संस्तुति की है। प्राधिकरण का यह विचार था कि चूंकि इस समिति को किया गया आवंटन अपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर ही निरस्त कियागया था और इस ~~रिपोर्ट~~ रिपोर्ट में इस समिति के खिलाफ कई आरोप लगाये गये थे, जबकि अपर जिलाधिकारी की दूसरी रिपोर्ट में इन आरोपों की वास्तविकता के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गयाहै अत: ~~निर्णय हुआ कि~~ उनसे पुन: सही स्थिति ज्ञात की जाय ।
(कार्यवाही सचिव)

प्राधिकरण की नियमावली में कुल भूखण्ड का 10 प्रतिशत ही सहकारी गृह निर्माण समिति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। यह निर्णय हुआ कि इस स्थान पर कुल भूखण्डों ~~का~~ 10 प्रतिशत भूखण्ड ~~भाग~~ इस समिति

39

के सदस्यों के लिये आरक्षित रखी जाय परन्तु समिति के सदस्यों को पृथक - पृथक इस योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक में रजिस्ट्रेशन करने होंगे ।
(कार्यवाही [illegible])

विषय क्रमांक:- 18 (अनुपूरक विषय क्रमांक:-3)

पी०ओ०एल० मद में बजट की अतिरिक्त वृद्धि का अनुमोदन ।

अधिशासी अभियन्त्रण विभाग के लिये शासन द्वारा स्वीकृत की गयी जीप तथा नगर नियोजक के लिये क्रय कीजाने वाली, अन्य जीप जिसकी शासन से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है के लिये 1987-88 के बजट में पी० ओ० एल० मद में प्राविधानित धनराशि में, तीन लाख रुपये की वृद्धि स्वीकार की गयी है ।
(कार्यवाही [illegible])

विषय क्रमांक :- 19 अनुपूरक विषय क्रमांक :- 4

डालनवाला आवासीय योजना की वित्तीय स्वीकृति :-

इस योजना में विभिन्न मदों पर निम्नलिखित व्यय की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस [illegible] के अन्तर्गत [illegible]

1- निर्बल वर्ग आवास योजना:- 44.54 लाख रुपये

2- अल्प आय वर्ग आवास योजना:- 43.92 लाख रुपये

3- स्थल विकास कार्य :- 55.00 लाख रुपये

विषय क्रमांक 20 :- अनुपूरक विषय क्रमांक 5

राजस्व परिषद से प्राप्त विकास शुल्क से नगर विकास योजनायें :-

इस धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गयी ।

1- श्री हीरा सिंह विष्ट, नगर विधायक ।

2- श्री द्वारिका नाथ धवन, भू०पू० नगर विधायक ।

3- अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।

4. अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण ।

5. श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ।

6. सचिव, विकास प्राधिकरण (संयोजक)

यह समिति विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार निम्न लिखित कार्यों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति अगली बैठक तक प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत भी दिखलाई जायेगी ।

1- यातायात के दृष्टिकोण से व्यस्त मोहल्लों में नई सड़कों का निर्माण या वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण, डेंसकारपेंटिंग आदि का कार्य ।

2- विभिन्न मोहल्लो में सामूहिक पेय जल हेतु वाटरमेन्स की व्यवस्था ।

3- जल निकासी हेतु नालियों की व्यवस्था ।

(कार्यवाही स्थगित)

विषय क्रमांक :-21 (अनुपूरक विषय क्रमांक :- 6)

मसूरी में लाइब्रेरी के निकट कार पार्किंग के निर्माण के सम्बन्ध में ।

मसूरी में लाइब्रेरी के निकट कार पार्किंग की 8 लाख रू0 की योजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाई गई है क्योंकि इस योजना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो पायेगी। अत: वैकल्पिक रूप में इस मार्ग को चौड़ा करके 15 कारों के लिए सुविधाप्रदान करने हेतु योजना/आगणन तैयार करने का निर्देश दिया गया। इस योजना/आगणन पर अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तदनुसार डिजायन तैयार किया जाय और उस पर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण के माध्यम/अध्यक्ष के आदेश प्राप्त कर लिये जायं । इसके अलावा शैवाय होटल के नीचे कैम्पटी फाल को जाने वाली सड़क के किनारे एक कार पार्किंग का स्थल विकसित किया जाय और इसके लिए इस बात का सर्वेक्षण कर लिया जाय कि शैवाय होटल की कितनी भूमि अध्याप्त करनी होगी और यह भूमि उनसे आपसी बात-चीत से भी तय की जा सकती है। इस योजना का भी आगणन/डिजायन आदि तैयार कर लिया जाय ।

(कार्यवाही स्वीकृत अनुमोदित)

लाइब्रेरी के निकट कार पार्किंग वाले स्थल पर राज्य विद्युत परिषद द्वारा जो बिजली के खम्बे गाड़े गये हैं और ट्रान्सफारमर रखा गया है

उसे राज्य विद्युत परिषद द्वारा अपने व्यय पर ही हटाया जाय क्योंकि उन्होंने यह कार्य नगरपालिका की भूमि पर बिना अनुमति के किया है और इस स्थान पर कार पार्किंग की एक महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वित की जानी है।

[यू०डी० चौबे]	[प्रताप सिंह]	[एस०एस०पांगती]
सचिव,	उपाध्यक्ष,	आयुक्त/अध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा,	म०दे०वि०प्रा०,	म०दे०वि०प्रा०,
देहरादून ।	देहरादून ।	देहरादून ।